पुष्पेन्द्र सिंह विरूद्ध जगजीवन प्रसाद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 840–तीन / 08 जिला -- रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि हस्ताक्षर
1-10-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक निग. 279–तीन / 07 में पारित आदेश दिनांक 16–5–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । (एम के सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

CANC

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांकः- /2008 रीवा / [illegible]

पुष्पेंद्र सिंह [illegible] विश्वनाथ सिंह

निवासी-बजरंगनगर जिला रीवा

--- आवेदक

विरुद्ध

जगजीवन प्रसाद उपाध्याय पुत्र राजे [illegible]

प्रसाद ग्रामकरौंदी जिला सतना हाल

निवासी- [illegible] उरहट [illegible]

जिला रीवा म०प्र० ---- अनावेदक

28/07/08 को प्रस्तुत